

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1477
उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

एनटीए का पुनर्गठन

1477 श्री राजीव शुक्ला:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बिना विवाद एक भी परीक्षा संपन्न नहीं करवाई है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनटीए मुख्य रूप से संविदा कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है, और वहाँ स्थायी कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति है;
- (ग) वर्तमान में स्थायी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों की संख्या और पदनाम सहित ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या एनटीए को समाप्त करने या इसे पेशेवर और जवाबदेह निकाय बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार .)

(क) से (ङ.): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशिष्ट निकाय के रूप में की गई है। वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 250 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की है।

एनटीए के प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में एनटीए में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 25 है। एक कर्मचारी को उसके मूल विभाग से एनटीए में शामिल किया गया है। एनटीए को और मजबूत करने के

लिए सरकार ने केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले 16 नए पद सृजित किए हैं, जिनमें से 8 निदेशक स्तर के और शेष संयुक्त निदेशक स्तर के हैं। नए सृजित पदों में से 3 संयुक्त निदेशक पहले ही एनटीए में कार्यभार संभाल चुके हैं।

एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति/समावेश के आधार पर एनटीए में कार्यरत अधिकारियों की संख्या और पदनाम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
1.	निदेशक	7
2.	संयुक्त निदेशक	9
3.	शोध वैज्ञानिक 'सी'	1
4.	उप निदेशक	4
5.	सहायक निदेशक	3
6.	वरिष्ठ अधीक्षक	2

एनटीए आवश्यकतानुसार संविदा पर कर्मचारियों की सेवाएं भी लेता है। वर्तमान में एनटीए में 43 कर्मचारी संविदा आधार पर कार्यरत हैं।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है, जिसमें एनटीए को सुदृढ़ करना, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि शामिल हैं।
